रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2426] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 5, 2016/आश्विन 13, 1938
No. 2426] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 5, 2016/ASVINA 13, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 2016

का.आ. 3150 (अ) .-- केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 270कक की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (25th संशोधन) नियम, 2016 है ।

(2) ये 1 अप्रैल, 2017 को प्रवृत्त होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियम कहा गया है), नियम 128 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**129. धारा 270कक के अधीन आवेदन का प्ररूप –** धारा 270क के अधीन शास्ति के अधिरोपण और धारा 276ग या धारा 276गग के अधीन कार्रवाई के प्रवर्तन से उन्मुक्ति की मंजूरी के लिए निर्धारण अधिकारी हेतु कोई आवेदन प्ररूप सं. 68 में किया जाएगा ।"।

3. उक्त नियमों में परिशिष्ट 2 में, प्ररूप संख्या 67 के पश्चात् निम्नलिखित प्ररूप अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"प्ररूप सं. 68

आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक(2) के अधीन आवेदन का प्ररूप

व्यक्तिगत जानकारी	पहला नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम या अस्तित्व का नाम	पैन
	फ्लैट/मकान/ब्लॉक सं.		परिसर/भवन/ग्राम का नाम	सड़क/गली/डाकघर
	क्षेत्र/अवस्थिति		नगरी/शहर/जिला	राज्य
	देश	पिन कोड	एसटीडी कोड सहित फोन नं./ मोबाइल नं.	ई-मेल पता

आदेश और भुगतान का विवरण	1	निर्धारण वर्ष	
	2	वह धारा, जिसके अधीन निर्धारण/पुन: निर्धारण* आदेश पारित किया गया	
	3	निर्धारण/पुन: निर्धारण* के आदेश की तारीख	
	4	निर्धारण/पुन: निर्धारण* के आदेश की तामील की तारीख	
	5	निर्धारण/पुन: निर्धारण* आदेश के अनुसार मूल्यांकित आय की रकम	
	6	कर और मांग (रुपए) के नोटिस के अनुसार संदेय कर और ब्याज	
	7	मांग नोटिस के अनुसार संदेय में ली गई सम्यक् तारीख	
	8	संदत्त रकमों का ब्यौरा	

क्रम सं.	बीएसआर कोड	निक्षेप की तारीख (दिन/मास/वर्ष)	चालान की क्रम संख्या	रकम (रुपए में)
(i)				
(ii)				
(iii)				

प्ररूप का सत्यापन

मैं, ... जो .... पुत्र/पुत्री हूं, मैं और घोषणा करता हूं कि ऊपर स्तंभ 2 में उल्लिखित आदेश की बाबत कोई अपील फाइल नहीं की गई है । मैं वचनबंध करता हूं कि आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 270कक(4) में विनिर्दिष्ट अवधि के अवसान के पूर्व उक्त आदेश की बाबत कोई अपील फाइल होगी । मैं घोषणा करता हूं कि मैं अपनी .... हैसियत में दे रहा हूं और मैं इस फाइल के लिए आवेदन और सत्यापित करने के लिए सक्षम भी हूं ।

स्थान हस्ताक्षर

तारीख मुहर

(जब कभी लागू हो)

*जो लागू न हों उसे काट दें ।"

[अधिसूचना सं. 90/2016/फा.सं. 370142/26/2016-टीपीएल]

डॉ. टी.एस.मपवाल, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम अधिसूचना का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए और अधिसूचना सं. का.आ. 3145(अ) तारीख 04th अक्तूबर द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए ।